

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/वै.शि.प्र./2019-20/19822/आंगनबाड़ी/०४

दिनांक- २१/८/२०१९

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
स्कूल शिक्षा

..... (समस्त)

**विषय—** समन्वयन पश्चात प्रभावी आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रभावी संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सम्बलन प्रदान करने हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रभारी (मेटर टीचर) नियुक्त करने बाबत् ।

**प्रसंग—** प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्राक रास्कूशिप/ईसीसीई/ 2018-19/6793 दिनांक 25.9.18 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) मे प्रदत निर्देशानुसार आपके जिले में संबंधित पीईआरो को पाबंद कर उनके नियंत्रणाधीन विद्यालयों में संचालित तथा विद्यालयों के नामांकन रहराव सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा मेंटर टीचर द्वारा शासन के आदेश दि. 25.09.18 में उनके लिये निर्देशित कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्यकर्ता का संबलन एवं उक्त कार्य का प्रभावी प्रबोधन करें । सभी विद्यालय अवलोकरकर्ता अधिकारियों को भी निर्देशित करें कि वे विद्यालय अवलोकन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि संबंधित संस्था प्रधान एवं मेंटर टीचर शासन के उक्त आदेश में उनके संबंध में उल्लेखित कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन कर रहे हैं ।

संलग्न—उपरोक्तानुसार 3 पेज

  
(ओम कसेरा)

I.A.S.

निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं राज (प्राशि)विभाग  
राजस्थान—बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, आयुक्त, रास्कूशि.प., शिक्षा संकुल, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ..... (समस्त) ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारंभिक शिक्षा ..... (समस्त) ।

  
(ओम कसेरा)

I.A.S.

निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं राज (प्राशि)विभाग  
राजस्थान—बीकानेर

# राजस्थान स्कूल शिक्षा पारबद्

पथम तल, नॉक-6, शिक्षा संकुल परिसर,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

Ph-2701596

rajssquality@gmail.com

कागज़ : रास्कूलशिप/ईसीसीई /2018-19/ 6793

दिनांक : १५/७/१८

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.),  
समस्त जिले।

उपनिदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग),  
समस्त जिले।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा/एसएसए)  
समस्त जिले।

सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग),  
समस्त

संस्थाप्रधान

राजकीय प्रा.वि/उ.प्रा.वि/मा.वि/उ.मा.वि  
समस्त जिले।

**विषय:-**समन्वयन पश्चात प्रभावी आंगनबाड़ी संचालन हेतु संस्थाप्रधान/महिला सुपरवाइजर/पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभारी (मेंटर टीचर) एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कर्तव्य एवं वाच्यताओं के संबंध में दिशा-निर्देश।

राजस्थान सरकार राज्य में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु विशेष बल दिया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन हेतु राज्य में पूर्व से ही समस्त राजकीय विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में एसआईव्यूर्स कार्यक्रम संचालित है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित ईसीसीई के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता सुनिश्चित करने एवं तीन वर्ष संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को समन्वित किया गया है इस संबंध में दिनांक 08.08.16, 24.04.17 एवं 31.01.18 को क्रमशः उच्च माध्यमिक/माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा आंगनबाड़ी के समन्वयन के सम्बन्ध में संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों में ईसीसीई गतिविधियों के सफल संचालन एवं नामांकन/ठहराव सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभारी/मेंटर टीचर (विशेष रूप से कक्षा 1 को पढ़ाने वाली महिला शिक्षक) नियुक्त किये गये हैं। संस्थाप्रधान, नियालिखित कर्तव्य एवं कार्य निर्धारित किये गये हैं—

## 1. मेंटर टीचर (शालापूर्व शिक्षा प्रभारी) के कर्तव्य एवं कार्य -:

- आईसीडीएस द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में आने वाली कठिनाई/समस्या पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ चर्चा करें तथा यह भी देखें कि वच्चों द्वारा उसमें कार्य किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केन्द्र को दिया गया पीएसई किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा वच्चों को उन खिलौनों से खेलने का अवसर प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कक्षा प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। उदाहरण – वच्चों की बैठक व्यवस्था में सुधार करना, कक्ष को व्यवस्थित करना, गतिविधि के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना इत्यादि।
- केन्द्र पर आने वाले समस्त वच्चों को सप्ताह में एक दिन विद्यालय के आईसीटी लेब (उपलब्धतानुसार) में कम्प्यूटर द्वारा उनकी आयु अनुरूप कार्यक्रम दिखाने में सहयोग करें।
- आंगनबाड़ी समन्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्ययनात्मक वच्चों के तथा स्थान पर खेल-कूद सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित वच्चों की उपरिथिति, नियमितता, शैक्षिक प्रगति व सभग्र विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करें।
- बैठक में उपरिथिति एवं अन्य भुदों का रिकॉर्ड रखें एवं अनुपरिथित रहने वाले अभिभावकों से संपर्क करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करें।
- आंगनबाड़ी अबलोकन हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर सुधार हेतु सुझाव देना।

- यदि विद्यालय से समन्वित आंगनबाड़ी में एनटीटी शिक्षक कार्यरत हैं तो एनटीटी शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित कर शिक्षण कार्य में सम्बलन प्रदान करें।
- ईसीसीई पाठ्यक्रम (फिलकारी, उमंग, तंग) के अध्यापन हेतु एसआईक्यूई को देखते हुए सासाहिक कार्ययोजना तैयार करें।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग कर मासिक कार्ययोजना निर्माण हेतु-

  - महीने में एक बार कम से कम आंगनबाड़ी केन्द्र का अवलोकन कर कार्यकर्ता को गतिविधि करते हुए देखें।
  - अवलोकन पश्चात अपनी टिप्पणी/सुझाव अवलोकन पुस्तिका में दर्ज करें।
  - सुझावों के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सम्बलन प्रदान कर कार्ययोजना निर्माण हेतु प्रेरित करें।

### 2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कर्तव्य एवं कार्य -:

- सासाहिक कार्ययोजनानुसार नामांकित बच्चों को पूर्ण प्राथमिक शिक्षण सुनिश्चित करें। शिक्षण योजना निर्माण में कठिनाई होने पर मेंटर टीचर से सहयोग प्राप्त करें।
- आंगनबाड़ी अभिभावक बैठक में मेंटर टीचर/ संस्थाप्रधान को आमंत्रित करें।
- विद्यालय में आयोजित होने वाली एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में स्वयं भी शामिल रहें।
- समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्र पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विद्यालय की कक्षा 1 में रथावत नामांकन की सुनिश्चितता करना।
- कार्ययोजना के अनुसार दैनिक कार्य करना साथ ही समस्याओं की चर्चा मेंटर टीचर/महिला सुपरवाईजर/संस्थाप्रधान से करते हुए उचित समाधान प्राप्त करें।
- मेंटर टीचर के साथ मिलकर अपने शिक्षण में सुधार के लिए निर्धारित प्रपत्र भर कर प्लान बनाए।
- मेंटर टीचर द्वारा दिये गये फीडबैक को अपने पूर्ण प्राथमिक शिक्षण में सम्मिलित करते हुए शिक्षण करवाए।
- आंगनबाड़ी-अभिभावक बैठक आयोजित करने हेतु मेंटर टीचर का सहयोग प्राप्त करें।

### 3. संस्थाप्रधान के कर्तव्य एवं कार्य -:

- प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले एक अध्यापक (प्राथमिकता से महिला अध्यापिका) को मेंटर टीचर के रूप में नियुक्त करें।
- समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्र के नियमित एवं सुनियोजित संचालन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मेंटर टीचर के साथ संयुक्त चर्चा कर सुझाव देवें।
- यदि आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित रूप से एवं पूर्ण समय नहीं खुलता या संचालन में कोई समस्या आने पर कारणों का पता कर उसके निम्न के लिए आवश्यक कार्यवाही करें अथवा विभागीय अधिकारियों/एलएस/सीडीपीओ/महिला एवं बाल विकास विभाग उपनिदेशक को सूचित करें।
- आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के स्वेच्छा के लिए विद्यालय में सुरक्षित एवं साफ सुथरा स्थान उपलब्ध करायें।
- भौतिक रूप से समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्र के बालक-बालिकाओं कार्यकर्ता व अन्य कार्मिकों हेतु विद्यालय के भौतिक संसाधन यथा- शौचालय, स्वच्छ पेयजय, खेल मैदान, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ व हवादार कक्ष उपलब्ध करवावे।
- बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर कार्यकर्ता को आवश्यक सुझाव देवें।
- आंगनबाड़ी केन्द्र से समन्वित समस्त सूचनाओं को समय-समय पर शालादर्पण/शालादर्शन पर प्रविष्ट/अपडेट करवाना।
- आंगनबाड़ी-अभिभावक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु-

  - मेंटर टीचर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अभिभावकों को आमंत्रित करने एवं बैठक आयोजन में सहयोग प्रदान करें।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी की उपरिथिति को रजिस्टर में प्रमाणित करें।
- प्रतिमाह आंगनबाड़ी केन्द्र में संचालित म्ल्य गतिविधियों का कम से कम एक बार अवलोकन कर बिन्दुवार सूचनाएँ दर्ज कर, समीक्षा बैठक में सुधार हेतु चर्चा करें।
- प्रतिमाह एक बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, एल.एस. और शालापूर्व शिक्षा प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करें तथा सुझाव प्रेषित करें-

  - बच्चों की उपस्थिति की स्थिति
  - बच्चों की शैक्षिक प्रगति
  - केन्द्र पर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता

- विद्यालय विकास की वार्षिक योजना में आंगनबाड़ी को भी सम्मिलित करें तथा मासिक बैठक में उसकी प्रगति की चर्चा करें।
- एसडीएमसी/एसएमसी की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी आमंत्रित करें एवं आंगनबाड़ी विकास हेतु सामुदायिक सहयोग हेतु लोगों को प्रेरित करें।
- विद्यालय में आयोजित होने वाले पर्वों एवं उत्सवों में आंगनबाड़ी के बच्चों को भी सम्मिलित कर कार्ययोजना बनावें।

- ईसीसीई प्रभारी/मैटर टीचर के प्रदत्त कायों की मॉनिटरिंग करें।
- ब्लॉक स्तर पर एस.डी.एम. की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठकों में सीडीपीओ के साथ आंगनबाड़ी संचालन, प्रबन्धन व पूर्व प्राथमिक शिक्षण पर चर्चा करें।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों, सेवाओं की गुणवत्ता एवं नियमिता के संदर्भ में विद्यालयों की भूमिका सहयोग व सम्बलन की रहें, यह सुनिश्चित करें।

**4. महिला सुपरवाइजर के कर्तव्य एवं कार्य -:**

- निर्धारित मानदण्डानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र का अवलोकन कर उचित सुझाव देये तथा विद्यालय संस्थाप्रधान को फीडबैक से अवगत करावें।
- आंगनबाड़ी समय पर नहीं खुलने की सूचना मिलते ही उचित कार्यवाही करना।
- मैटर टीचर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाए गये कार्ययोजना की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि कार्यकर्ता इसके अनुसार कार्य कर रही है।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के सफल संचालन/प्रबन्धन एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षण हेतु अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मैटर टीचर, संस्थाप्रधान एवं सीडीपीओ का छाटसअप समूह बनाकर परस्पर चर्चा कर समस्याओं का निवारण करना भी एक विकल्प हो सकता है।

समस्त संस्थाप्रधान, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभारी/मैटर टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुपरवाइजर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये उक्त कर्तव्य एवं कार्यों का पालन कर प्रभारी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण करें जिससे की प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देवरेख (ईसीसीई) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

( रोली सिंह ) 20/4/18  
प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग

( नरेश पाल गुप्ता )  
प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी), स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी), महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
9. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
10. निदेशक, एसआईआरटी, उदयपुर।
11. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम व द्वितीय), समग्र शिक्षा अभियान जयपुर।
12. निजी सहायक, अति. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
13. उपायुक्त, एसआईव्यूर्ड राजस्थान, जयपुर।
14. उपायुक्त, गुणवत्ता राजस्थान, जयपुर।
15. उपायुक्त, प्रशिक्षण राजस्थान, जयपुर।
16. उपनिदेशक, एसआईव्यूर्ड मार्शि./प्रार्शि. राजस्थान, जयपुर।
17. उपनिदेशक, गुणवत्ता मार्शि./प्रार्शि. राजस्थान, जयपुर।
18. उपनिदेशक, प्रशिक्षण मार्शि./प्रार्शि. राजस्थान, जयपुर।
19. उपनिदेशक, ईसीसीई प्रभारी, एसआईआरटी, उदयपुर।
20. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, एसआईव्यूर्ड राजस्थान, जयपुर।
21. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिलों।
22. बीईईओ, समस्त ब्लॉक।
23. पीईईओ, समस्त।
24. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय।

( शिक्षणी स्वर्णकार )

राज्य परियोजना निदेशक, समस्त

( सुषमा जटोड़ )

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग